

कार्यालय डायरेक्टर स्कूल आफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन
एवं

कार्यालय अधिष्ठाता ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

फोन नं. 0761- 2670012,14 ई-मेल: director.sepm@mp.gov.in, chest.jabalpur@gmail.com

क्र/स्था/राज/एमईसीएम/2022/ 787

जबलपुर, दिनांक 30/09/2022

//विज्ञप्ति सूचना//

आवेदन की अंतिम तिथि 31/10/2022

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक क्रमशः एफ 1-3/2018/55-2 भोपाल दिनांक 26/05/2018 एवं क्रमांक एफ 4-66/2014/55-2 भोपाल दिनांक 26/12/2020 द्वारा परिचारिका, सह-चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की विभिन्न पद स्वीकृत किये गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आणन क्रमांक क्रमशः एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07-04-2018 द्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 जारी किये हैं। उक्त नियमों के अनुक्रम में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.च. बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर हेतु मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक क्रमशः 1328/स्था/अराज/2022 भोपाल दिनांक 07/07/2022 एवं पत्र क्रमांक 557/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 08/06/2021 द्वारा सह-चिकित्सकीय संवर्ग के स्लीप टैक्नीशियन एवं टैक्नीशियन (पीएफटी/रेस्पिरैटरी) की अनुसूची जारी की गयी है। इनके आधार पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की स्थापना के अंतर्गत सह-चिकित्सकीय संवर्ग, के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संभागायुक्त जबलपुर/अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में स्लीप टैक्नीशियन एवं टैक्नीशियन (पीएफटी/रेस्पिरैटरी) (सह-चिकित्सकीय संवर्ग) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों में विज्ञापन की निर्धारित शर्तों के अधीन खले विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवश्यक विवरण इस प्रकार है:-

पदनाम:- स्लीप टैक्नीशियन- 02 पद,

स.क्र.	श्रेणी	विना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
2	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	00	00
3	अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00	00	00	00	00	01
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00

पदनाम:- टैक्नीशियन पीएफटी/रेस्पिरैटरी -02 पद,

स.क्र.	श्रेणी	दिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
2	अनुसूचित जनजाति	01	00	00	00	00	00	01
3	अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00

1. स्लीप टैक्नीशियन- हेतु न्यूनतम योग्यता:-

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम योग्यता
01	स्लीप टैक्नीशियन	मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 1328/स्था/अराज/2022 भोपाल दिनांक 07/07/2022 द्वारा आणन सह-चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर अर्हता/अनुभव 1. अभ्यर्थी ने बायोलाजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. पी.एफ.टी. टैक्नीशियन/रेस्पिरैटरी थैरेपिस्ट का डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अथवा टैक्नीशियन का मान्यता प्राप्त संस्था में 02 वर्ष का कार्यानुभव।

02	टैक्नीशियन पीएफटी/रेस्पिरैटरी	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 557/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 08/06/2021 द्वारा प्राप्त सह-चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर अर्हता/अनुभव- 3. बायोलॉजी विषय के साथ स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से रेस्पिरैटरी टैक्नीशियन का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
----	----------------------------------	---

वेतनमान:-

स.क्र.	पद का नाम	वेतनमान
01	स्लीप टैक्नीशियन	5200-20200+2800 ग्रेड-पे
02	टैक्नीशियन पीएफटी/रेस्पिरैटरी	5200-20200+2800 ग्रेड-पे

2. आरक्षण के संबंध में यह नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के अंतिम आदेश के अधीन होगी।

3. वेतनमान एवं अन्य शर्तें:-

अ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर में निहित निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिचीक्षा अवधि में सातवे वेतनमान के निर्धारित लेवल के न्यूनतम वेतनमान का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि ग्रेडबैंड के रूप में प्रदान करते हुये स्वशासी संस्था के अंतर्गत स्वशासी संवर्धन एवं संविलियन नियम 1998 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के सह-चिकित्सकीय/गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम में निहित प्रावधानों के अधीन होगी। महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे।

ब) मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018 के कंडिका क्रमांक 6 के 6.7 के तहत पर महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन किया जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति का वेतन निर्धारण, उसके द्वारा महाविद्यालय में दी गई पूर्व सेवा अवधि को गणना में लेकर किया जाएगा।

4. आरक्षण:-


- पदों पर आरक्षण म.प्र. राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल क्रीमीलेयर) अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
- उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया है।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26, दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु धैतज आरक्षण लागू होगा।
- विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।
-------------	--

5. आवेदन शुल्क:-

A/c Holder:-	CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur
Bank Name	State Bank of India, Medical College Branch Jabalpur
A/c No.	10080132574
IFSC Code	SBIN0001445

अनारक्षित श्रेणी हेतु 1100/- (ग्यारह सौ रूपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 900/- (नौ सौ रूपये), एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमी लेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 1000/- (एक हजार रूपये), राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज शाखा जबलपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम देय से प्रस्तुत करना होगा। रसीद के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति फार्म के साथ संलग्न करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।



आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31/10/2022 सायं 05:00 बजे तक।

आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन कार्यालय, प्रथम तल ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर परिसर में जमा किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र भेजने का पता रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से

डायरेक्टर

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन कार्यालय, प्रथम तल

ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर परिसर

आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर सह-चिकित्सकीय/गैर-शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पत्र, आवेदित पद का नाम, श्रेणी आरक्षित/अनारक्षित का उल्लेख अवश्य करें किसी भी परिस्थिति में बिना आवेदन शुल्क एवं निर्धारित तिथि 31/10/2022 सायं 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

ईमेल द्वारा आवेदन पत्र भेजने का पता- director.sepm@mp.gov.in

ईमेल द्वारा आवेदन पत्र भेजने पर ईमेल की सब्जेक्ट लाईन पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर सह-चिकित्सकीय संवर्ग/गैर-शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पत्र, आवेदित पद का नाम, श्रेणी आरक्षित/अनारक्षित का उल्लेख अवश्य करें किसी भी परिस्थिति में बिना आवेदन शुल्क एवं निर्धारित तिथि 17/10/2022 सायं 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. आयु सीमा:-

आवेदक की आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।

न्यूनतम आयु- 18 वर्ष अधिकतम आयु - मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक सी3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

- अनारक्षित वर्ग के लिए - 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ निःशक्तजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए- 45 वर्ष

7. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेजों का सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018 के बंडिका क्रमांक 6 के 6.6 के तहत महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हो, सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केबान गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुमान निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना अनिवार्य होगा।
6. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
7. डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन/अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर का कार्यालय किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या



भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

8. आवेदन से लेकर स्कूटिंग, साक्षात्कार, नियुक्ति या नियुक्ति के पश्चात भी चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में संस्था की कार्यकारिणी/साक्षात्कार समिति के अध्यक्ष/डायरेक्टर एगईपीएम/अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद का क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
10. अभ्यर्थी के वर्तमान में जीवित सतान की संख्या के संबंध में वर्तमान में प्रचलित मध्यप्रदेश शासन के नियम लागू होंगे।
11. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह में विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
12. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शायी अनुसार बंधनकारी होंगी।
13. पुरुष तथा महिला की चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी।
14. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यकता न्यूनतम अर्हता से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
15. उक्त पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।

8. निर्हतायें:-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:-

1. कूटरचिह्न दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/ प्रपत्र/ अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित पाथन अपनाया हो या
4. आवेदकों की मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:
 - अ. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं।
 - ग. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध पाए गए।
 - द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।


9. चयन प्रक्रिया:-

आवेदन पत्र प्राप्त कर साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाना है। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों आयोजित किये जा सकते हैं।





10 महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन / नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देश का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी जवाबदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही तरीके से भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हो गया है तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।


29/09/22
डायरेक्टर

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन
ने.सु.चं. बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ने.सु.चं. बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.